रूप में निगमित किया गया है। 1991-92 के दौरान इस निगम के पक्ष में 25 करोड़ रुपये की राशि प्रदत्त पूंजी के रूप में पहले ही निर्मुक्त की जा चुकी है। 1992-93 के बजट में 25 करोड़ रुपये का और प्रावधान किया गया है।

इस निगम से वित्त का एक और स्रोत उपलब्ध हो जायेगा और सामाजिक तथा शैक्षिक रूप से पिछड़ वर्गों के तकनीकी तथा उद्यमीय कौशलों के उन्नयन में सहायता करेगा।

**अल्पसंख्यक आयोग का प्रतिवेदन**

1005. **श्री रामसिंह राठवा** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अल्पसंख्यक आयोग ने अपना 12वां प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या-क्या हैं ; और

(ग) उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है,

**कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी)** :

(क) जी, हां।

(ख) और (ग) रिपोर्ट विचाराधीन है।

**मध्य प्रदेश में आदिवासियों के लाभार्थ योजनाएं**

1006. **श्री अजीत जोगी** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश सरकार आदिवासियों के लाभ के लिए सुदूर क्षेत्रों में विकास योजनाओं को कार्यान्वित कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और वर्ष 1990-91 में तथा 1991-92 में अब तक इन योजनाओं के लिए कितनी केन्द्रीय सहायता प्रदान की गई है ;

(ग) क्या केन्द्र सरकार द्वारा आवंटित की गई सम्पूर्ण राशि का उपयोग कर लिया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण है ?

**कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी)** : (क) सामग्री एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) आदिवासियों के लाभार्थ दूरस्थ क्षेत्रों में विकास योजनाओं के विवरण एकत्र किए जा रहे हैं। तथापि, 1990-91 और 1991-92 के दौरान विभिन्न योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता निम्नानुसार है:--

(रु0 लाख में)

| क्रम सं | योजना | 1990-91 में निर्मुक्त राशि | 1991-92 में निर्मुक्त राशि |
|---|---|---|---|
| 1. | आदिवासी उपयोजना के लिये केन्द्रीय सहायता | 6237.28 | 6835.01 |
| 2. | सड़कों के छात्रावास | 28.744 | 35.00 |
| 3. | लड़कियों के छात्रावास | 63.875 | शून्य |
| 4. | आदिवासी अनुसंधान संस्थान, भोपाल के लिये अनुसंधान और प्रशिक्षण | 13.80 | 13.20 |
| 5. | स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान | 1.964 | 0.982 |

(ग) और (घ) सामग्री एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायगी।